केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00037
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00544
अपीलकर्ता श्री रामबाबू गुप्ता

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	06.12.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	11.12.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	31.12.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बाबू लाल, CPIO SO (Dak Section)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	24.01.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	29.01.2025
निर्णय की तारीख	28.02.2025

अपीलकर्ता ने अपनी प्रथम अपील में सुनवाई के लिए अनुरोध किया था जिसके तहत अपीलकर्ता को दिनांक 28.02.2025 को नोटिस भेजा गया था, परन्तु अपीलकर्ता सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ।

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 06.12.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"1.) CIC के प्रथम अपील अधिकारी जी कहाँ बैठते है उनका नाम पता फ़ोन आदि प्रदान करायी जाये।

2.) दिनांक 17.10.2024 का Speed Post से डाला गया पत्र P.I.O. साहब के कार्यालय में पंहुचा दिनांक प्रदान की जाए।

3.) दिनांक 17.10.2024 के आवेदन पत्र कौन ऑफिसर जी लगाए गए थे उन्होंने उस पर क्या कार्यवाही की गई रिपोर्ट निःशुल्क प्रदान कराई जाए।

4.) समय सीमा समाप्त होने पर भी जवाब प्रश्नो के उत्तर नहीं दिए गए कारण का ब्यौरा प्रदान करें।

5.) जनता को परेशान करने पर आवेदन पर संतोष जनक कार्यवाही न करने पर क्या कदम उठेंगे।

6.) CIC के PIO जी के जवाब के बाद 2nd Appeal कहाँ लगाई जायेगी फ़ोन नं क्या है। Fax आदि प्रदान कराई जाए।

7.) CIC के आर्डर से असंतुष्ट होने पर पेनल्टी के लिए कहाँ पर Appeal डालनी होती है।

8.) P.I.O. से जवाब प्राप्त न होने पर PANELTY के लिए कहाँ पर आवेदन करनी होगी।

9.) इन पुलिस आफिसर के प्रति क्या कदम उठाये जायेगे कब तक उठेंगे।

10.) इस आवेदन की जाँच अधिकारी जी का नाम पद पर तैनात किये जाये।

11.) पत्र प्राप्त करने बाद 17.10.2024 के प्राप्त 30 दिन का ब्यौरा प्रदान करें।

12.) इस आवेदक की STATUS रिपोर्ट क्या है लिखित में प्रदान करें अभी तक हुई देरी का क्या कारण बताया जाए लिखित में।

13.) आप Order करें जल्द से जल्द जवाब दिलवाने Order साथ में करें।

14.) दिनांक 17.10.2024 का पत्र Speed Post से किस ता० को प्राप्त हुआ रिपोर्ट प्रदान करें।

15.) पत्र प्राप्त होने के बाद 30 दिन का ब्यौरा प्रदान करें निःशुल्क प्रदान करें।

16.) झूठा मुकदमा दायर करने वाले पुलिस ऑफिसर के प्रति क्या कदम उठाये जायेगे, कौन अधिकारी जी उठाएंगे।

17.) I.O. सुनील कुमार व गौरव कुमार के प्रति D.C.P. साहब द्वारका जी के कहे अनुसार क्या कार्यवाही की गई DABBRE से रिपोर्ट प्रदान कराने का कष्ट करें।

18.) इस संबंध फाइल पर क्या चल रहा है STATUS रिपोर्ट प्रदान करें।

19.) अपने कार्य के प्रति लापरवाही करने पर क्या कदम उठेंगे।

20.) ऐसे ऑफिसर पर जुर्माना हो जाएगा हो जाएगा और विभागी कार्यवाही की जायेगी।"

2. प्रदान की गई सूचना

श्री बाबू लाल, जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 31.12.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

"With reference to your appeal/letter dated 17.10.2024, a reply from CIC has already been sent to you vide registration number CICOM/R/P/24/00445 on 22.10.2024 (Copy enclosed)."

3. प्रथम अपील का आधार

"मैंने दिनांक 06.12.2024 को Public Information Officer Central Information Commission Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi - 110067 के यहाँ पर आवेदन किया था इस सन्दर्भ में PIO जी के यहाँ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ स्टाफ का फेवर किया गया है। समय सीमा समाप्त होने पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया 06.12.2024 से आज तक कोई जवाब प्राप्त हुआ स्टाफ का फेवर किया गया है। समय सीमा समाप्त होने पर भी कोई जवाब प्राप्त देने पर Penalty लगाने का कष्ट करें।"

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00544 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार नहीं है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (Dak Section) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00544 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट बिंदुवार सूचना प्रेषित की जाये।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 28.02.2025

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (Dak Section) केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

2.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

28/2/25

28-2-25

O/C

C. I. C. /के० सू० आ०
RECEIVED
28 FEB 2025
D. No.
Initials